सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 30, मंगलवार, शाके 1946-अक्टूबर 22, 2024	
	Asvina 30, Tuesday, Saka 1946- October 22, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 16, 2024

जी.एस.आर.68 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (तृतीय संशोधन) नियम,2024 है।

(2)ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.-राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 से संलग्न अनुसूची-IIमें, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रुप में निर्दिष्ट किया गया है, **शीर्ष-IV मोटर यान विंग** के अधीन विद्यमानक्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

3.	ड्राइवर	90%	10%	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की	1. ट्रैक्टर गार्ड 2. विभाग की चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की	अनुसूची-IV में विहित पाठ्य विवरण के अनुसार	नियम 23(2) के अधीन समिति द्वारा चयन

				विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2.यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञानतथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड टेस्ट) के माध्यम से किया जाना है।		विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2.यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञानतथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड टेस्ट) के माध्यम से किया जाना है।		

"

3. अनुसूची-IV का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-IV में ड्राइवर के पद से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

ड्राइवर	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो	सुरक्षित चालन और रास्ते में की मरम्मत सहित राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान पर, दैनिक विज्ञान, गणित,	100	नियम 30 में यथा विहित 20 अर्हक अंक	-

	और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2. यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञानतथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण (ट्रेड टेस्ट) के माध्यम से किया जाना है।	सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट करने वाले वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे।			

"

[सं.एफ.2(6)डीओपी/ए-2II/2021]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 16 2024

G.S.R.68 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Forest Subordinate Service (Third Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette .

2. Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015, hereinafter referred to as the said rules, the existing serial number 3 and entries thereto under head- **IV Motor Vehicle Wing** shall be substituted by the following, namely:-

"

3.	Drive	90%	10%	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have – 1.Sight 6X6 with or without glasses; and 2.Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing	1.Tractor Guard 2.Members of Class IV service of the departme nt .	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have – 1.Sight 6X6 with or without glasses; and 2.Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing	As per Syllabus prescribed in Schedule IV	Selection by committee under rule 23(2)

				Authority.		Authority.		

3.Amendment of Schedule-IV.-In Schedule-IV appended to the said rules, the existing entries relating to post of Driver shall be substituted by the following, namely:-

Driver	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid licence to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have – 1.Sight 6X6 with or without glasses; and 2.Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority.	Objective type questions on General Knowledge comprising Everyday Science. Mathematics, Social Studies, Geography, History, Culture, Arts, current affairs etc. including safe driving and road repairs with particular reference to the State of Rajasthan.	100	Qualifying of 20 marks as prescribed in rule 30	-

[No.F. 2(6)DOP/A-2/2021]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.